राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :एफ 6(96)/परि/कर./मु./2010/14141 जयपुर, दिनांकः–02/07/18

अधिसूचना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(3)(n) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के अन्तर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक दिवसीय राजकीय कार्यक्रम हेतु दिनांक 07.07.2018 को राजस्थान राज्य के सभी जिलों एवं अन्य राज्यों से जयपुर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये परमिट की आवश्यकता से मुक्त किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :एफ 6(96)/परि/कर./मु./2010/14142-151 जयपुर, दिनांकः–02/07/18

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 02/07/2018 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभाग की वेबसाइट पर अपडेटिंग हेतु।
9. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
10. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)